

प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0— 62/2024, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अनोखीलाल उर्फ छोटू नाऊ को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.03.2024 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर दी गयी की उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ को भगवानदीन पुरवा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3६4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ पुत्र चेताराम नि0 पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—62/2024, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह।
02. हे0का0 सोनू कन्नौजिया।
03. का0 चेतन पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0— 62/2024, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अनोखीलाल उर्फ छोटू नाऊ को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.03.2024 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर दी गयी की उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ को भगवानदीन पुरवा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3६4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अनोखी लाल उर्फ छोटू नाऊ पुत्र चेताराम नि0 पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—62/2024, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह।
02. हे0का0 सोनू कन्नौजिया।
03. का0 चेतन पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2024

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-144/24, धारा 376डी0ए0,506 भादवि व 5^{जी}/6 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित कुमार उर्फ जयदेव को डेहरास चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.04.2024 को थाना परसपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षीगणों द्वारा उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अमित कुमार उर्फ जय देव को आज दिनांक 14.04.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत डेहरास चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमित कुमार उर्फ जयदेव पुत्र राघवराम नि0 ग्राम रमेश्वरपुरवा मौजा सुसुण्डा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-144/2024, धारा 376डी0ए0,506 भादवि व 5^{जी}/6 पाक्सो ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 परसपुर प्रदीप कुमार शुक्ला।
02. का0 चरन सिंह।
03. का0 अखिलेश यादव।

प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा पशुकूरता अधि० के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं०—359/24, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि०, 11 पशु कूरता अधि०, 4/25 आर्म्स ऐक्ट व 207 एमवी ऐक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 14.04.2024 को थाना धानेपुर के उ०नि० नागेश्वरनाथ पटेल मय फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गौवध निवारण अधि० के वांछित अभियुक्त आसिफ को पुत्र चुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. असिफ पुत्र चुन्ना नि० ग्राम युसुफ नगर गिर्द गोण्डा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०—359/24, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि०, 11 पशु कूरता अधि०, 4/25 आर्म्स ऐक्ट व 207 एमवी ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

01. उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल।
02. हे०का० आनन्द प्रकाश यादव।
03. का० शशांक कुमार सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.04.2024, थाना कर्नलगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-415/23, धारा 419,420,504,506,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.07.2023 को वादी राजेश पुत्र रामचरन नि0 कुमरौरा पूरे भिखारी सिंह का पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी अरविन्द कुमार व उनके 03 साथियों द्वारा मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर श्रीमती सुभाषिनी के नाम फर्जी तरीके से प्लॉट व मकान दिखाकर बैनामा करवा दिया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त अरविन्द कुमार को आज दिनांक 14.04.2024 को सरजू पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अरविन्द कुमार पुत्र जगदेव निवासी भिखारी सिंह का पुरवा कुम्हरौरा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-415/23, धारा 419,420,504,506,467,468,471 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा।
02. आ0 असगर अली।
03. आ0 मनोज कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।